

परिचालन संरक्षा चेतावनी सं। 01/2022
OPERATING SAFETY ALERT No. 01/2022

विषय: ब्लॉक नियमों का उलंघन (Breach of Block Rule) कर गाड़ी परिचालन की घटना के संबंध में।

सोनपुर मंडल में दिनांक 10.01.2022 को काढ़ागोला स्टेशन और सेमापुर स्टेशन के बीच Dumatic Machine को अप लाइन में 12.45 बजे से 13.45 बजे तक work and return ब्लॉक देकर काढ़ागोला स्टेशन से चलाया गया था परंतु Dumatic Machine ब्लॉक सेक्शन में काम कर ही रहा था और अभी ब्लॉक कैंसिल नहीं हुआ था इसी बीच काढ़ागोला स्टेशन मास्टर ने सेमापुर में खड़ी गाड़ी न. 03315 (अप कटिहार - समस्तीपुर मेमू पैसेंजर) को लाइन क्लियर दे दिया और सेमापुर स्टेशन ने भी गाड़ी खुला दिया अतः एक ही समय में ब्लॉक सेक्शन में दो गाड़ियां चला दी गईं जिसके कारण ब्लॉक नियमों का उलंघन (Breach of Block Rule) की घटना हुई।

घटना स्थल पर पहुंचे मुख्यालय एवं मंडल अधिकारियों द्वारा की गई जांच-पड़ताल में पाई गई विफलता निम्नवत है -

1. SS/ काढ़ागोला ने PWI से ट्रैक फिट सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना एवं मशीन क्लियरेंस को सुनिश्चित किए बिना ब्लॉक यंत्र को TOL से लाइन क्लोज अवस्था में कर दिया और सेमापुर स्टेशन मास्टर को गाड़ी न .03315 का लाइन क्लियर दे दिया। अतः G&SR 14.10 एवं लाइन क्लियर देने के शर्तों का पालन नहीं किया गया।
2. SS/काढ़ागोला ने ब्लॉक कैंसिल करने के लिए कंट्रोल से प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान नहीं किया।
3. सेमापुर स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल से ब्लॉक कैंसिल हो जाने एवं ब्लॉक सेक्शन साफ हो जाने के संबंध में न तो जानकारी ली और ना ही प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान किया।
4. कंट्रोल ने ब्लॉक परमिट करने और कैंसिल करते समय दोनों स्टेशनों से प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान नहीं किया।
5. PWI और SS द्वारा ब्लॉक लेने तथा कैंसिल करने के संबंध में SR 4.65 (3) (i), (ii), (vii), (ix) में वर्णित नियमों का ठीक से पालन नहीं किया।
6. ऐक्सल काउंटर ब्लॉक यंत्र से interlocked नहीं था। अगर interlocked होता तो स्टेशन मास्टर काढ़ागोला ब्लॉक यंत्र पर लाइन क्लियर नहीं दे पाता और ब्लॉक नियम उलंघन की घटना होने से बच जाती।
7. कंट्रोलर द्वारा गाड़ी न 03315 जो 12.44 बजे सेमापुर आ चुकी थी को रोककर 12.45 से मशीन ब्लॉक दिया जाना bad planning है। इस गाड़ी को खुलाकर ब्लॉक दिया जा सकता था।

उपरोक्त घटना के पश्चात त्वरित कारवाई करते हुए निम्न कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है -

1. SS/ काढ़ागोला -श्री श्याम किसोर प्रसाद
2. कार्यरत स्टेशन मास्टर सेमापुर- मो.नदीम
3. सेक्शनल TI- श्री महादेव मंडल
4. कार्यरत section controller/KIR बोर्ड - श्री राजेश कुमार-।।
5. संबंधित ट्रैक मशीन PWI - श्री प्रेम प्रकाश

विदित हो कि ऊपर वर्णित निलंबित हुए कर्मचारियों में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी कठोर दंड के भागी होंगे।

उपरोक्त लापरवाही के मद्देनजर निमलिखित का कठोरता से अनुपालन करने के निर्देश दिए जाते हैं -

- (i) **G&SR की प्रक्रिया का अनुपालन:-**Traffic ब्लॉक, Power ब्लॉक, Track Machine ब्लॉक, Tower Wagon आदि का ब्लॉक G&SR में उल्लिखित प्रक्रिया (Procedure) का अनुपालन कर दिया एवं निरस्त (Cancel) किया जाना सुनिश्चित करें।
- (ii) **निर्धारित फार्मों का प्रयोग:-** स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करें कि PWI द्वारा मशीन ब्लॉक हेतु मांग की सूचना, अनुमति एवं cancel करने के संदर्भ में सहायक नियम 4.65 में वर्णित फार्म सं. इंजी./465 ए, इंजी./465 बी, इंजी./465 सी (एनेक्सचर-I, एनेक्सचर-II, एनेक्सचर-III) में दिया गया है।
- (iii) **Section Controller की अनुमति:-** Section Controller सुनिश्चित करें कि ब्लॉक की अनुमति देते समय दोनों छोर के स्टेशन मास्टरों के साथ Private number का आदान-प्रदान किया गया है।
- (iv) **स्टॉप प्लग/ बटन कॉलर/ लाइन अवरुद्ध बोर्ड/ तख्ती का प्रयोग:-** स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करें कि ब्लॉक दिए गए सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश को रोकने के लिए संबंधित पैनल बटनों पर स्टॉप प्लग/ बटन कॉलर एवं ब्लॉक यंत्र/यंत्रों पर लाइन अवरुद्ध बोर्ड/ तख्ती का प्रयोग किया गया है।
- (v) **ब्लॉक रजिस्टर का रख रखाव (Maintenance):-** स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करें कि संबंधित ब्लॉक रजिस्टर एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में सभी प्रविष्टियाँ लाल स्याही से दर्ज कर ली गई हैं।

अतः समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लापरवाही की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए परिचालन संरक्षा से संबंधित समस्त कर्मचारियों द्वारा नियमों का अक्षरशः पालन करने एवं उन्हें सतर्क करने हेतु आवश्यक कारवाई करें।

(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 /505, दिनांक: 16.01.2022

प्रतिलिपि:

1. सचिव, महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर - महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
3. मण्डल रेल प्रबंधक -धनबाद, दानापुर, डी डी यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
4. वरि. मण्डल परिचालन प्रबंधक- धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।